संख्या–1192/बीस–4/2017–3(13)/2011

प्रेषक,

आनन्द वर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–4

देहरादून : दिनांक 01/12/2017

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–777/XX(4)26/उ0आ0/2006–08, दिनांक 22.10.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किये गये है :–

(क) एल0आई0यू0 की रिपोर्ट,
(ख) पुलिस के अन्य अभिलेख यथा डेली डायरी के प्रासंगिक अंश,
(ग) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) जिस रूप में भी दर्ज हो,
(घ) चिकित्सालय सम्बन्धी रिपोर्ट,
(च) ऐसे अन्य अभिलेखों पर आधारित सूचनाएँ, जिसकी प्रमाणिकता जिलाधिकारियों द्वारा पुष्टि की जाए।

बिन्दु (च) के कम में कतिपय व्यक्तियों द्वारा समाचार पत्र की कतरन के आधार पर स्वयं को राज्य आन्दोलनकारी चिन्हित किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मात्र समाचार पत्रों की कतरन के आधार पर राज्य आन्दोलनकारियों का चिन्हांकन नहीं किया जा सकता है।

भवदीय,

(आनन्द वर्द्धन)
प्रमुख सचिव